भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 847

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस के तहत खाद्यान्न की क्षरण-मुक्त आपूर्ति

847. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के भीतर खाद्यान्न की क्षरण-मुक्त (लीक-प्रूफ) आपूर्ति को प्रभावित करने वाली वर्तमान प्रणालीगत चुनौतियों का ब्यौरा क्या है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में संभावित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय शामिल हैं;

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरित खाद्यान्न लगातार 'उचित औसत गुणवत्ता' (एफएक्यू) मानकों को पूरा करता है, लागू विशिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों को घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति के संबंध में विभाग द्वारा कितनी शिकायतें/उल्लंघन दर्ज किए गए हैं;

(ग) लाभार्थियों को घटिया गुणवत्ता के स्टॉक के वितरण को रोकने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की पहुंच का ब्यौरा क्या है, देश में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक लाभार्थियों की कुल संख्या और उपयोग किए गए वित्तीय परिव्यय का राज्य/संघ/राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर छत्तीसगढ़ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न की पहुँच, प्रभावशीलता तथा क्षरण-मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार की डिजिटल पहलों के अंतर्गत, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में, 99.9 प्रतिशत राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं तथा 99.2 प्रतिशत लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूर्ण हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी अपने राशन कार्ड संख्या अथवा आधार संख्या के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से उचित दर दुकानों से अपनी पूर्ण पात्रता के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी), मेरा राशन ऐप तथा अन्न सहायता जैसी पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा लाभों की पहुँच का विस्तार हुआ है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रभावशीलता में और सुधार हुआ है।

...2/-

(ख) एवं (ग): विभाग ने भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद से लेकर उनके वितरण तक गुणवत्ता मानकों के एकरूप अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली का निर्माण कर उसे जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभाग के भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग को केन्द्रीय पूल हेतु निर्धारित खाद्यान्न भंडारों से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के संपादन तथा उनकी खरीद, भंडारण एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरण के दौरान निगरानी करने का दायित्व भी सौंपा गया है। ये गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी गतिविधियाँ नियमित रूप से की जाती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकान (एफपीएस) के डीलरों को लाइसेंस जारी करना तथा उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि से संबंधित परिचालनात्मक दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन होते हैं। तदनुसार, इस विभाग को किसी भी स्रोत से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर, जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा विभाग के संबंधित प्रभाग/अनुभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कम गुणवत्ता के गेहूं के वितरण से संबंधित विशिष्ट शिकायत मामलों का विभाग द्वारा अलग से अनुरक्षित अथवा संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) से संबंधित कुल 30,014 शिकायतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रेषित की गई हैं।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की गई है।

(घ): देश में विगत वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

विभाग, विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) को भारत सरकार के आवंटन के अनुसार, केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण पर उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

...3/-

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिस दर पर खाद्यान्नों को राज्यों को निर्गत किया जाता है, उस अंतर की प्रतिपूर्ति डीसीपी राज्यों एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है। डीसीपी राज्यों एवं भारतीय खाद्य निगम को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी, वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार निर्गत की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य-वार निधियों का पृथक आवंटन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किए गए खाद्यान्न की मात्रा के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को निधियां भी जारी की जाती हैं। खाद्य सब्सिडी की दोनों योजनाओं (एफसीआई तथा डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी) को समाहित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 से वर्तमान तिथि तक डीसीपी राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) तथा भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.02.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 847 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

देश में विगत वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)	
		दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.44	8.44
3	असम	247.98	247.98
4	बिहार	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77	200.77
6	दिल्ली	72.78	72.78
7	गोवा	5.32	5.32
8	गुजरात	365.84	365.84
9	हरियाणा	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	29.88	29.88
11	झारखंड	264.19	264.19
12	कर्नाटक	401.93	401.93
13	केरल	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	534.79	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17	700.17
16	मणिपुर	20.87	20.87
17	मेघालय	21.46	21.46
18	मिजोरम	7.05	7.05
19	नागालैंड	14.05	14.05
20	ओडिशा	325.17	325.17
21	पंजाब	141.45	141.45
22	राजस्थान	440.01	440.01
23	सिक्किम	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	364.12	364.12
25	तेलंगाना	191.70	191.70
26	त्रिपुरा	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1498.70	1498.70
28	उत्तराखंड	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.61	0.61
31	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.99	2.99
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	6.34	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41	72.41
36	लद्दाख	1.44	1.44
कुल		**8056.05**	**8056.05**

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.02.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 847 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (आज तक) तक डीसीपी राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) और एफसीआई को खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी की गई निधि का विवरण।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 30.01.2026 की स्थिति के अनुसार)
1	असम@	-	-	-	-	-	9.36
2	बिहार	4117.33	7671.90	10966.10	6557.64	9725.40	7393.98
3	पंजाब	1761.53	2047.53	1202.49	2064.56	2572.72	1816.19
4	मध्य प्रदेश	11946.44	14420.62	9471.50	16939.27	10189.04	7278.91
5	आंध्र प्रदेश	8424.72	9323.38	6635.97	6268.19	8398.98	4702.22
6	तेलंगाना	6879.59	7665.02	5242.76	5367.07	4178.27	2822.66
7	उत्तर प्रदेश**	-	-	-	-	9.09	119.92
8	पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.34	6580.11		8899.88	11704.98
9	छत्तीसगढ	7193.13	9047.77	7574.81	5236.13	5695.55	2083.64
10	उत्तराखंड	1371.33	1554.43	1212.25	724.39	1159.26	80.75
11	हिमाचल प्रदेश@@	-	-	-	47.38	-	-
12	तमिलनाडु	3109.76	6250.93	8685.95	7072.53	6033.90	5621.05
13	ओडिशा	8985.73	7892.69	7600.05	14473.68	9948.83	6140.07
14	कर्नाटक	323.99	1682.12	2191.75	1222.13	1281.18	935.79
15	गुजरात	9.24	749.43	311.54	267.83	138.87	-
16	केरल	1214.98	1777.86	1544.89	1151.85	1062.36	555.65
17	महाराष्ट्र	2555.74	4082.07	2725.75	3923.29	327.74	1458.49
18	झारखंड	3.66	-	-	42.77	502.99	409.3
19	त्रिपुरा	29.79	15.58	148.67	106.51	64.26	-
20	डीबीटी*	182.78	186.87	187.9	267.6	221.95	243.45
21	उप-योग (राज्य+डीबीटी) क्रमांक 1 से 20	78337.77	79789.54	72282.49	71733.36	70410.27	53376.41
22	एफसीआई	462789.00	208929.00	200219.20	139661.03	129089.40	109148.00
23	कुल (राज्य+डीबीटी+एफसीआई) क्र.सं. 21+22	541126.77	288718.54	272501.69	211394.39	199499.67	162524.41

अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत सभी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) तथा प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह, 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।

* प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2015-16 से चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की गई है।

** उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गैर-डीसीपी खरीद प्रणाली अपनाई गई है; गेहूं एवं चावल के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने कोई सब्सिडी जारी नहीं की है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज के वितरण हेतु खाद्य सब्सिडी जारी की है।

@ असम राज्य केवल 2 जिलों के लिए डीसीपी राज्य है तथा असम राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 से डीसीपी प्रणाली अपनाई है।

@@ हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त वर्ष 2022-23 से डीसीपी राज्य है।

*****